सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 18, गुरूवार, शाके 1944-मार्च 09, 2023
Phalguna 18, Thursday , Saka 1944- March 09, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2023

संख्या:08/भू.अ./ज.स./2020/550-554:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भीखा भाई सागवाड़ा नहर परियोजना आर.डी. 105.00 से 115.00 किमी. (MIS-IX) में शेष रही भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिषाषी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड, माही परियोजना सागवाड़ा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6 / 2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गलियाकोट होगे।

:-विवरण-:

कार्यालय अधिशाषी अभियंता भीखा **भाई सागवाडा नहर खंड माही परियोजना सागवाडा**

भीखा भाई सागवाड़ा नहर की आर.डी. 105.00 किमी. से 115.00 किमी (MIS-IX) में अवाप्ति से शेष रही भूमि के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला डूगरपुर

क्र. स.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	भीखा भाई सागवाडा नहर की आर.डी 105.00 किमी से 115.00 किमी (MIS-IX) में अवाप्ति से शेष रही भूमि रकबा 4.56 एकड़ (11-10 बीघा-बिस्वा)	विजयपुरा	बाबा की बार	गलियाकोट	डूंगरपुर	उपखंड अधिकारी गलियाकोट
2		बाबा की बार	बाबा की बार	गलियाकोट	डूंगरपुर	उपखंड अधिकारी गलियाकोट
3		फोफलीबोर	बाबा की बार	गलियाकोट	डूंगरपुर	उपखंड

						अधिकारी गलियाकोट
4		पुंछियावाडा	बाबा की बार	गलियाकोट	डूंगरपुर	उपखंड अधिकारी गलियाकोट
5		बार वेजणिया	बाबा की बार	गलियाकोट	डूंगरपुर	उपखंड अधिकारी गलियाकोट

उक्त परियोजना से 1 ग्राम पंचायत के 5 ग्राम के अन्तर्गत 28 खसरों के तहत 160 किसानों एंव सार्वजनिक भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

फार्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा -:

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता भीखा भाई सागवाडा नहर खण्ड माही परियोजना सागवाडा
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	भीखा भाई सागवाडा नहर की आर.डी 105.00 किमी से 115.00 किमी (MIS-IX) में शेष रही भूमि की अवाप्ति के अंतर्गत ग्राम -विजयपुरा (ग्राम पंचायत बाबा की बार), ग्राम - बाबा की बार (ग्राम पंचायत बाबा की बार), ग्राम फोफलीबोर (ग्राम पंचायत बाबा की बार), ग्राम पुंछियावाडा (ग्राम पंचायत बाबा की बार), ग्राम बार वेजणिया (ग्राम पंचायत बाबा की बार) के अंतर्गत भूमि 4.56 एकड़ (11-10 बीघा-बिस्वा) भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दे।	(1) परामर्श। (2) सर्वेक्षण। (3) सार्वजनिक सुनवाई।
(ग)	यदि ग्राम सभा अैर / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अंतर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।

	समय सीमा औरा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगे।	
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हां।
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियंता भीखा भाई सागवाडा नहर खण्ड माही परियोजना सागवाडा में उपलब्ध।

कृष्ण मोहन जायसवाल
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।